

न्यायालय विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

अधिनियम, बहराइच।

सत्र परीक्षण संख्या-216/2005

सरकार बनाम लेदा उर्फ हनुमान आदि।

थाना-हुजूरपुर, बहराइच।

22.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण शांती देवी, बाबू, लेदा उर्फ हनुमान, भोंदू व कलावती की हाजरी माफी इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है कि वे नियत तिथि पर मामले में बहस कराना सुनिश्चित करें। विद्वान अधिवक्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनवाई में सहयोग करें। पत्रावली वर्ष 2005 से लम्बित है जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा अपार डी०जे० के अन्तर्गत अति प्राचीन पत्रावली की श्रेणी में आती है। ऐसे में विद्वान लोक अभियोजक को निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि पर बहस करना सुनिश्चित करें। नियत तिथि पर सभी अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय पर उपस्थित हो।

पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.04.2026 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।